



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1948 (श10)

(सं0 पटना 1205) पटना बुधवार 30 सितम्बर 2026

सं०सं०-6 एस०एस०(6)65/2026-5271

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

संकल्प

29 सितम्बर 2026

विषय:- बिहार राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, सुदृढीकरण एवं मानकीकरण हेतु "बिहार पशु चिकित्सा अवसंरचना एवं सेवा सुदृढीकरण नीति" की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में पशुधन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन, पोषण सुरक्षा तथा कृषक आय संवर्धन का एक महत्वपूर्ण आधार है। पशुधन की बढ़ती संख्या एवं उन्नत पशु स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पशु चिकित्सा संस्थानों का वैज्ञानिक, चरणबद्ध एवं मानकीकृत विकास आवश्यक हो गया है।

2. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत Minimum Standards of Veterinary Infrastructure in India के अनुरूप राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं का पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण किया जाना अपेक्षित है, जिससे पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ पशु स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करायी जा सकें। भारत सरकार के पत्र संख्या-K-11/47/2024-H (E-27777), दिनांक-27.03.2026 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार आगामी 05 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक) के लिए 10 हजार Cattle Units पर एक पैरावेट की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। अतः मार्गदर्शिका के अनुसार विभाग में उपलब्ध संस्थाओं में वृद्धि एवं सुदृढीकरण अत्यंत आवश्यक है तथा उसी अनुपात में पद सृजन भी किया जाना आवश्यक है।
3. भारत सरकार के पत्र संख्या-T-11013/4/2025-AHS_DADF(38710), दिनांक-10.04.2026 के आलोक में SASCI हेतु Performance Criteria में Adoption of Guidelines for Minimum Standards of Veterinary Institutions (GMSVI) of India in accordance with DAHD's guidelines issued vide OM No. K-11/47/2024-LH (E27777), dated 26th November 2025 and 27th March को सम्मिलित किया गया है। साथ ही, SASCI के अन्तर्गत अधिकतम अंक प्राप्त करने, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण पशु स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु GMSVI मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

4. वर्तमान में राज्य में विभिन्न स्तरों पर पशु चिकित्सालय संचालित हैं, किन्तु संस्थानों की संरचना, मानव संसाधन, उपकरण, सेवाओं की उपलब्धता एवं भौगोलिक पहुँच में असमानता पाई जाती है। परिणामस्वरूप पशुपालकों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएँ, आपातकालीन उपचार, निदान सुविधाएँ एवं रेफरल सेवाएँ समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अतएव सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, सुदृढीकरण एवं मानकीकरण हेतु "बिहार पशु चिकित्सा अवसंरचना एवं सेवा सुदृढीकरण नीति" की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।
5. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं का चार स्तरीय ढाँचा विकसित किया जायेगा –
 - (क) प्राथमिक पशु उपचार केन्द्र पंचायतों के समूह (अधिकतम 8) जिसमें 10 हजार Cattle Head पशु संख्या जहाँ हो में स्थापित की जानी है। उपरोक्त प्राथमिक पशु उपचार केन्द्र में 01 पशु चिकित्सक, 01 पैरावेट एवं 02 परिचारी पदस्थापित होने हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 01 अथवा प्रति 1500 Cattle Head पर 01 पैरावेट (जो भी अधिक हो) नियुक्त किए जाने हैं।
 - (ख) प्रखंड स्तरीय पशु चिकित्सालय समस्त प्रखंड मुख्यालयों में स्थापित होने हैं। प्रखंड स्तरीय पशु चिकित्सालय में 02 पशु चिकित्सक, 02 पैरावेट एवं 02 परिचारी होंगे।
 - (ग) सभी जिला पशु चिकित्सालयों में 04 पशु चिकित्सक, 02 पैरावेट, 05 परिचारी, 01 विस्तार अधिकारी, 01 डाटा इंट्री ऑपरेटर, 01 रेडियोग्राफर, 01 ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन, 02 फार्मासिस्ट, 02 इन पेशेंट वार्ड अटेंडेंट सहित कुल 19 व्यक्तियों का मानवबल रहेगा।
 - (घ) राज्य पशु चिकित्सालय राज्य स्तर पर स्थापित किया जाना है जिसमें 18 पशु चिकित्सक एवं जिला पशु चिकित्सालय के अनुपात में सहायक स्टॉफ यथा—02 पैरावेट, 05 परिचारी, 01 विस्तार अधिकारी, 01 डाटा इंट्री ऑपरेटर, 01 रेडियोग्राफर, 01 ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन, 02 फार्मासिस्ट, 02 इन पेशेंट वार्ड अटेंडेंट सहित कुल 33 व्यक्तियों का मानवबल रहेगा।
6. नीति का उद्देश्य :-
 - (क) भारत सरकार द्वारा निर्गत Minimum Standards of Veterinary Infrastructure in India के अनुरूप राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं का पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण किया जायेगा।
 - (ख) राज्य में पशु स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (ग) पशुधन उत्पाकदता एवं पशु कल्याण में वृद्धि किया जायेगा।
 - (घ) रोग नियंत्रण एवं रोग निगरानी तंत्र को सुदृढ किया जायेगा।
 - (ङ) ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाया जायेगा।
 - (च) विशेषज्ञ एवं सुपर स्पेशियलिटी पशु चिकित्सा सेवाओं का विकास किया जायेगा।
 - (छ) पशु चिकित्सा संस्थानों का मानकीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जायेगा।
 - (ज) पशुपालकों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीक आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. प्रस्तावित नीति का स्वरूप—राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं हेतु निम्नलिखित चार स्तरीय संस्थागत व्यवस्था विकसित की जायेगी:-
 - (क) प्राथमिक पशु चिकित्सा देखभाल केन्द्र (PVCC) :-
 - पंचायत/क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित किए जायेंगे।
 - पशुपालकों को प्राथमिक उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, रोग निवारण एवं परामर्श सेवाएँ उपलब्ध करायी जायेगी।
 - प्रत्येक केन्द्र को निर्धारित मानकों के अनुरूप मानव संसाधन एवं आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा।
 - (ख) प्रखंड स्तरीय पशु चिकित्सालय :-
 - प्रखंड मुख्यालय स्तर पर विकसित किए जायेंगे।
 - प्राथमिक केन्द्रों के लिए रेफरल संस्थान के रूप में कार्य करेंगे।
 - शल्य चिकित्सा, रोग निदान, आपातकालीन उपचार एवं तकनीकी मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
 - (ग) जिला पशु चिकित्सालय :-
 - प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्थापित/उन्नत किए जायेंगे।
 - उन्नत चिकित्सकीय सुविधाएँ, रोग परीक्षण, प्रशिक्षण, रोग निगरानी एवं रेफरल सेवाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

- जिले के सभी अधीनस्थ पशु चिकित्सा संस्थानों का तकनीकी पर्यवेक्षण करेंगे।
- (घ) राज्य स्तरीय पशु सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय :-
 - राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय संस्थान स्थापित किया जायेगा।
 - जटिल रोगों के उपचार, विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं रेफरल सेवाओं का केन्द्र होगा।
 - राज्य के सभी जिला पशु चिकित्सालयों हेतु शीर्ष रेफरल संस्थान के रूप में कार्य करेगा।

8. नीति के प्रमुख घटक :-

- (क) पशु चिकित्सा संस्थानों का चरणबद्ध उन्नयन।
- (ख) आवश्यकतानुसार नवीन संस्थानों की स्थापना।
- (ग) मानव संसाधनों का सृजन एवं क्षमता विकास।
- (घ) आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता।
- (ङ) डिजिटल पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का विकास।
- (च) रोग निगरानी एवं आपदा प्रबंधन तंत्र का सुदृढीकरण।
- (छ) मोबाईल पशु चिकित्सा सेवाओं का एकीकरण।
- (ज) प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन।

9. क्रियान्वयन व्यवस्था :-

- नीति के क्रियान्वयन हेतु पशुपालन निदेशालय नोडल एजेंसी होगी।
- चरणबद्ध कार्ययोजना विभाग द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं०-12888, दिनांक-03.12.2024 तथा समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत पृथक रूप से स्वीकृति की जायेगी।
- आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जायेगा।
- समय-समय पर प्रगति की समीक्षा विभाग द्वारा की जायेगी।

10. अपेक्षित परिणाम :-

- पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुँच में व्यापक वृद्धि होगी।
- पशु रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण में सुधार होगा।
- पशुधन मृत्यु दर में कमी होगी।
- दुग्ध, माँस एवं अन्य पशु उत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
- राज्य में आधुनिक एवं मानकीकृत पशु चिकित्सा तंत्र की स्थापना होगी।

आदेश से,
शीर्षत कपिल अशोक,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1205-571+100-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>